

an&gt;

title: Issue regarding irregular meetings of Disha in West Bengal.

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** अध्यक्ष महोदया, मैं सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ और निमंत्रण देता हूँ कि सभी मेरी बात सुनें। एक माननीय एमपी होने के नाते मेरे ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। पिछले पांच सालों से एक माननीय एमपी होते हुए भी मुझे अभी तक 'दिशा' की मीटिंग के लिए न्योता नहीं मिला है। मेरे जिला मुर्शिदाबाद में पिछले पांच सालों से 'दिशा' की मीटिंग नहीं हुई है। मेरा एक गुनाह है कि मैं विपक्ष का एक माननीय एमपी हूँ। एक कलेक्टर ने 'दिशा' की मीटिंग बुलाने के लिए हिम्मत दिखाई तो उनको तुरंत ट्रांसफर किया गया।...(व्यवधान) पहले यह विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी थी, अब उसका नाम बदल कर 'दिशा' कर दिया गया है।...(व्यवधान) मेरे साथी बदरुद्दीन जी हैं।...(व्यवधान) पिछले पांच सालों से आज तक 'दिशा' की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। इस तरह की लोकतंत्र बंगाल में चल रहा है, मैं इस तरह के लोकतंत्र के खिलाफ हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप की बात हो गयी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** पांच साल से 'दिशा' नहीं है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :**

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री शरद त्रिपाठी और

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।